EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 21ST MAY, 2021

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 21 मई, 2021

संख्या 19/जीएसटी–2.– एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 20 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, भारत के कई हिस्सों में महामारी कोवीड–19 के प्रसार के मद्देनजर, अधिसूचित करते हैं कि, -

(i) जहां किसी प्राधिकरण द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए कोई समय सीमा उक्त अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित की गई है, जो अप्रैल, 2021 के पंद्रहवें दिन से मई, 2021 के तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, और जहां ऐसी समय सीमा के भीतर ऐसी कार्रवाई को पूरी नहीं की गई या उसका अनुपालना नही की गई है, तो, निम्नलिखित प्रयोजन सहित, ऐसी कार्रवाई के पूरा करनेया अनुपालन के लिए समय सीमा मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन तक बढ़ाई जाएगी–

   (क) उपर्युक्त कथित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या अधिकरण, किसी भी नाम के ज्ञात, द्वारा किसी कार्रवाई को पूरी करना या कोई आदेश पारित करने, कोई नोटिस जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या ऐसी अन्य कार्रवाई, किसी भी नाम के ज्ञात; या

   (ख) उपर्युक्त कथित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कोई अपील, जवाब या आवेदन दायर करना या कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, कथन, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड, किसी भी नाम के ज्ञात हो, को प्रस्तुत करना;

किंतु, समय का ऐसा विस्तार, उक्त अधिनियम के नीचे यथा वर्णित उपबन्धों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, –

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई–वे बिल का संबंध है; तथा

(ड) उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) पर विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन बनाए गए नियम:

परंतु जहां हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 9 के अधीन निर्दिष्ट, या निर्धारित या अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने की कोई समय सीमा, जो मई, 2021 के प्रथम दिन से मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, और जहां ऐसी कार्रवाई ऐसे समय के भीतर पूरी नहीं की गई है, तो ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा में जून, 2021 के पंद्रहवें दिन तक विस्तार किया जाता हैं।

(ii) ऐसे मामलों में जहां प्रतिदाय के दावे को, पूर्णतः या भागतः अस्वीकार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और जहां आदेश जारी करने की समय सीमा धारा 54 की उप–धारा (7) के साथ पठित उप–धारा (5) के उपबन्धों के संदर्भ में अप्रैल, 2021 के पंद्रहवें दिन से मई, 2021 के तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, तो ऐसे मामलों में उक्त आदेश जारी करने की समय सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का जवाब प्राप्ति के पंद्रह दिन बाद या मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन, जो भी बाद में हो, तक बढ़ाई जाएगी।

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से हुई लागू की गई समझी जाएगी ।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 21ST MAY, 2021

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 21st May, 2021

No.19/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many parts of India, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

(i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 31st day of May, 2021, including for the purposes of--

(a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or
(b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the following provisions of the said Act, namely: -

(a) Chapter IV;
(b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
(c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
(d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
(e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above :

Provided that where any time limit for completion of any action, by any authority or by any person, specified in, or prescribed or notified under rule 9 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, falls during the period from the 1st day of May, 2021 to the 31st day of May,

2021, and where completion of such action has not been made within such time, then the time limit for completion of such action shall be extended upto the 15th day of June, 2021;

(ii) in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 31st day of May, 2021, whichever is later.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of April, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.